English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2003-04 (December 2003).

Motion on National Charter for Children, 2003 - Contd.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मान्यवर मंत्री जी ने माननीय सदन में यह जो राष्ट्रीय बाल चार्टर, 2003 प्रस्तुत किया है और इस पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप जिसके अंतर्गत कई धाराओं के माध्यम से, जो उसमें अध्याय 3 और 4 हैं उसके माध्यम से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, हर दृष्टि से, चतुर्दिक विकास की दृष्टि से बातें कही गई हैं। उन बातों को ध्यान में रखकर जिस तरीके से बाल मनोविज्ञान के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए थी उसमें कहीं न कहीं त्रुटि रही है और जिसके परिणामस्वरूप जितने भी सम्मानित सदस्यों ने यहां अपने विचार व्यक्त किए, उसमें आज के यथार्थ को उन्होंने इस सदन के अंदर प्रस्तुत किया है। आज का यथार्थ यह है कि लगभग 16 करोड़ बालकों में से अधिकांश ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और आज भी वे अपना जीवन यापन अर्जन करने के लिए स्वयं कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, आज भी जो काफी संख्या में उत्पीड़न के शिकार हैं। ऐसे दुधमुंहे बच्चे, जिनको खेलने और पढ़ने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए, वह अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जिसके परिणामस्वरूप ही कल से यहां इस सदन में चर्चा हो रही है, उसके सार का चित्रण किया गया है विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से। मैं माननीय जोशी जी से, जो हमारे सम्मानित नेता भी हैं और जो एच0आर0डी0 विभाग भी देखते हैं, इलाहाबाद की ही एक घटना का उद्धरण करना चाहूंगा। नैनी में एक घटना अभी 30 नवम्बर को घटित हुई है। उस घटना के अंतर्गत दो बच्चे पढ़ने जा रहे थे, कक्षा 5 या 6 के छात्र थे, जिनको कुछ लोगों ने एक चोरी के इल्ज़ाम में जबर्दस्ती पकड़ा, जो चोरी उन्होंने नहीं की थी और पुलिस ने ले जाकर थाने में जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समाचार पत्रों में यहां तक वर्णन आया है कि उनके गुप्तांग में पैट्रोल डालकर उनको कष्ट दिया गया और इस तरह से पीटा गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीन बच्चे बाहर निकलकर आए, उनको धमकी दी गई कि अगर किसी को बताओगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसी घटनाएं आज रोज हो रही हैं। यह बात सही है कि संविधान की मंशा के अंतर्गत यह जरूर कहा गया है कि बच्चों का, सुकुमार आयु का, शोषण न किया जाए तथा नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के आधार पर किसी ऐसे कार्य को करने के लिए विवश न किया जाए जो उनके स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य के प्रतिकूल हो, संविधान की धारा 39(9) के अंतर्गत यह कहा गया है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सारी चीजें हुई हैं। आज यह यथार्थ स्वरूप कई स्थानों पर दिखाई पड़ रहा है।

सारी चीजों का वर्णन किया गया लेकिन एक जो खतरनाक चीज़ है - बालक तस्करी, मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। बालकों की तस्करी बड़ी तेज़ी से की जा रही है। बालकों और बालिकाओं की तस्करी करके दूसरे देशों में ले जाना, उनका उत्पीड़न करना, यह बड़ी तेज़ी से हो रहा है और इसको रोकने की दिशा में क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए, इसे देखने की आवश्यकता है।

मान्यवर, इन्हीं सारी चीजों पर विचार करते हुए संभवत यह चार्टर रखने के लिए अनुभव किया गया, चाहे संविधान की मंशा हो और चाहे राष्ट्रीय बाल नीति हो, जो सन् 74 में बनी। उस बाल नीति के अंतर्गत हम बच्चे के जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात एवम् विकास की अवस्था के दौरान पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि उनका सर्वांगीण - शारीरिक, मानसिक एवम् सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसको भी समाहित करते हुए यह राष्ट्रीय बाल चार्टर 2003 प्रस्तुत किया गया है, जिसके उद्देश्य के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि चार्टर के पीछे हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को बच्चा होने का, एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार दिलाना, बच्चे के स्वस्थ विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मूल कारणों का निवारण करना तथा परिवार, समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाते हुए बच्चों की सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा के लिए व्यापक सामाजिक संदर्भ में समुदाय की संचेतना को जागृत करना है। इसको ध्यान में रखते हुए इस चार्टर के अंतर्गत सारे बिन्दु प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन जो परेशानी है, जो आज की आवश्यकता है शिक्षा नीति के बारे, बच्चों की शिक्षा के बारे में उसमें कई लोगों ने अपने ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज संस्कारक्षम शिक्षा की आवश्यकता है, बच्चों में संस्कार की आवश्यकता है और संस्कार के लिए परिवार और विद्यालय, ये दो प्रमुख स्थल हैं, जहां बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं और मैं केवल स्मरण दिलाना चाहूंगा कि पूर्वकाल में हमारे यहां गुरुकुल की परम्परा थी और उसके अंतर्गत बच्चे गुरु के साथ में रहते हुए शिक्षा का भी अध्ययन करते थे और साथ ही साथ गुरु के व्यवहार और आचरण के आधार पर उनका विकास भी होता था और उसमें एक मंत्र भी कहा गया, जिसमें बच्चे और गुरु दोनों मिलकर एक दूसरे का विकास करें, चिंतन करें :-

सहना अवतु सहनौसुनक्तु सहवीर्यंकर वायहै:

तेजार्रचना वधितुमस्ति माविद् विषावहै:

सब लोग साथ मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें, सब लोग साथ मिलकर एक दूसरे की कुशल-क्षेम की चिंता करें, सब लोग साथ में मिलकर अपनी तेजस्विता का वर्धन करें तथा साथ ही साथ परस्पर किसी भी प्रकार का विद्वेष न रखें। यह एक संस्कार की चीज है। शिक्षा के आधारस्तंभ पर जब तक इस संस्कार की प्रक्रिया को आगे विकसित नहीं किया गया तब तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जैसा हम चाहते हैं, वैसा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे सामान्य प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे कोई और विद्यालय हो, वहां इस प्रकार की संस्कारजन्य शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ मैं श्री शंकर राय चौधरी जी की इस बात से सहमत हूं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ चीजें जानना चाहते हैं, आक्रामक और competitive प्रवृत्ति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह ठीक है कि हिंसात्मक भाव उनके अंदर न आने पाएं लेकिन उनकी आक्रामकता समाप्त न होने पाए और उस आक्रामकता को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी न किसी competitive स्थिति का निर्माण करते रहें, यह व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी। जैसा कि यहां बताया गया है कि खेल के अंदर अगर हमारी killing spirit समाप्त हो जाएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। Killing spirit जाग्रत करना आज की परिस्थितियों में बहुत ही आवश्यक है और यह संस्कारजन्य शिक्षा के माध्यम से ही होगा। संस्कारों के माध्यम से शिक्षा देते हुए, शिक्षा के आधार में संस्कारों को रखते हुए अगर हमने काम करने का प्रयत्न किया और बच्चों को उस दिशा में विकसित करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से जो हम कहते हैं कि बच्चे हमारे भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे, उसको हम चरितार्थ कर सकेंगे। इसी दिशा में

माननीय मंत्री जी ने जो राष्ट्रीय बाल चार्टर पेश किया है, इसमें सारी चीजें समाहित हैं। संस्कारजन्य शिक्षा देने की दृष्टि से किस प्रकार की नीति का अवलंबन लिया जा सकता है, इस दृष्टि से विचार करते हुए और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को किस तरीके से हम इस प्रवाह में ला सकें, इसके हिसाब से कोई नीति बनाकर कार्य करने की दिशा में प्रयत्न किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

डा0 नारायण सिंह मनकलाव (नाम-निर्देशित) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मेरा यह पहला वक्तव्य है। मैं इस क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से कई वर्षों से कार्य कर रहा हूं। आपके द्वारा जो घंटी बजाई जाती है, वह मुझे थोड़ा सा विचलित करती है कि शायद मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पाऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : मैं आपको बता दूं कि इस सदन की यह परंपरा है, चूंकि आपकी यह मेडन स्पीच है, इसलिए आपके लिए घंटी नहीं बजेगी लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको जो आज़ादी है, आप समझ-बूझ के साथ उसका इस्तेमाल करें। हमारे सदन की परंपरा यह है कि मेडन स्पीच के दौरान हम किसी को नहीं रोकते।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : इसका मतलब यह है कि आप मन ही मन घंटी बजा लेना।

डा0 नारायण सिंह मनकलाव : ठीक है, आप इशारा कर देना।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आपको मेडन स्पीच के लिए बधाई।

डा0 नारायण सिंह मनकलाव : उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस चार्टर के लिए जोशी जी को बधाई देना चाहता हूं और इस चार्टर का स्वागत करता हूं। बालक, जिसको कई रूपों में माना गया है - उसे मनुष्य का पिता माना गया है, देश का भविष्य माना गया है और तरह-तरह की उपमाओं से उसको सुशोभित किया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस संदर्भ में बहुत सारी बातें कही हैं। इसी प्रयास में सन् 1974 में एक राष्ट्रीय नीति बनी थी और उस नीति को बनाने वाले नीतिज्ञों का मकसद भी बालकों का कल्याण ही था। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत 30 सालों के बाद भी आज हमारे बालकों की जो स्थिति है, वह बहुत ही दयनीय है।

उपसभाध्यक्ष (डा0 ए0के0 पटेल) पीठासीन हुए

उपसभाध्यक्ष महोदय, 375 मिलियन बच्चों में से 111 मिलियन बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं और वे आपके इस चार्टर को पढ़ने में असमर्थ हैं, हिंदी में जो चार्टर होगा, उसको भी पढ़ने में असमर्थ हैं। महोदय, 11 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो homeless हैं, जो streets में काम करते हैं। हमारे बच्चों की 63 प्रतिशत आबादी mal-nutrition से प्रभावित है और करीब 7 से 8 लाख बच्चे प्रतिवर्ष ऐसी बीमारियों से मरते हैं, जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता है। टीकाकरण और immunisation के अभाव में लाखों की तादाद में बच्चे पोलियो से ग्रसित हो

जाते हैं। विटामिन ए के अभाव में बच्चे blindness से पीड़ित हैं। यह सारी स्थिति 30 साल बाद भी है और आज इसी से दु:खी होकर या प्रेरित होकर हमारे माननीय मंत्री महोदय ने यह चार्टर लाने का प्रयास किया है जो स्तुत्य है।

श्रीमान, मैं बताना चाहता हूं कि जिस पर हमने अब तक विचार किया तथा बहुत अनुभवी और जानकार लोगों ने इस पर अपने विश्लेषण दिए हैं । बालक को बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जिसका वैधानिक रूप से कोई माता-पिता नहीं है वह भी इस देश का बालक है। जिस बच्चे के माता-पिता स्वर्गवासी हो गए हैं वे आर्फेन बच्चे भी इस बालक की परिधि में आते हैं। गोकुल फेमिली के बच्चे भी आते हैं और ये सारे बच्चे जिनके माता-पिता हैं तथा गरीब और अमीर बच्चों के अलावा ये बच्चे भी हैं जिनका आकाश ओढ़ना है और धरती बिछौना है, और वे एक तरह से होमलैस और स्ट्रीट चिल्ड्रन के रूप में जैसा वर्णन किया गया, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर कमीज उतार करके दिखाई देते हैं। एक बच्चा जब आपके रेल के डिब्बे को अपनी ही मैली कमीज से साफ करके वापिस आ करके कुछ मांगता है तो मुझे बड़ी शर्म लगती है। इस परिस्थिति में हमें बाल चार्टर बनाते समय उन बच्चों का भी ध्यान रखना होगा जो इन परिस्थितियों में जीते हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं, स्टेशनों पर दिखाई देते हैं। इन परिस्थितियों के कारण बच्चों में क्राइम बढ़ रहा है, वे चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं और इसी के कारण ड्रग्स एडिक्ट पैदा हो रहे हैं। श्रीमान, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राज्य सभा के एक सांसद का लड़का मेरे ड्रग डिएडिक्शन सेंटर में आया। वह मेरे साथ में एक स्टेशन पर बैठा हुआ था। 17 साल का बच्चा था। मेरे पास में एक दूसरा बच्चा रात को बारह बजे जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन था बीड़ी पी रहा था। मैंने उसको कहा कि देखो, यह बीड़ी पी रहा है तथा बहुत खराब काम कर रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि आपको पता नहीं है कि यह किस परिस्थिति में जी रहा है बीड़ी ही इसके जीवन का आधार है। उस बच्चे ने कहा कि मैं भी इसी को आधार मान करके आज तक जीया हूं क्योंकि माता-पिता होते हुए भी मैं भी ऐसी फेमिली का बच्चा हूं। तो श्रीमान, कहने का तात्पर्य यह है कि इन परिस्थितियों में बच्चा ड्रग एडिक्ट भी हो रहा है और उसका एक्सप्लॉटेशन भी हो रहा है। उसका बाल श्रमिक के रूप में भी फिजिकल एक्सप्लायटेशन हो रहा है। सेक्सुअल और लेबर की तरह से जो उसका एक्सप्लॉयटेशन है वह भी इसी का कारण है। इस चार्टर में इस प्रकार के बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान के लिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि वे भी आपके देश के बच्चे हैं इसलिए इस पर विचार किया जाए। उनके प्रिवेंशन के बारे में, उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में और उनको कैसे रिहेबिलेट किया जाए और कैसे उनका जीवन मूलधारा में वापिस लाया जाए यह एक बहुत ही बड़ा विषय है जिस पर काम किया जा सकता है। इसमें सरकार के द्वारा एन0जी0ओ0 के माध्यम से, समाज के माध्यम से कुछ नया काम किया जा सकता है।

जहां तक एजूकेशन का प्रश्न है। रूरल चाइल्ड की एजूकेशन अलग है, सिटी के चाइल्ड की एजूकेशन अलग है, मेट्रो की एजूकेशन अलग है, गरीब की एजूकेशन अलग है, पढ़े-लिखे की एजूकेशन अलग है और वह गांव का साधारण बच्चा चाहे उसके मां-बाप हैं या वह गरीब है वह वैसी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता जो आज शहर के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए उनकी जो असमानता है उसको भी मिटाया जाए और उनको भी अवसर दिलाया जाए। अभी हमारे स्टेट में पिछली सरकार ने एक प्रयोग किया था तथा एक नए स्कूल की व्यवस्था की गई जिसमें 1200 रुपए में टीचर रखे गए। वहां 60 रुपए मिनिमम वेजज था और 40 रुपए

प्रतिदिन में उनको लगा दिया गया। एक मास्टर पढ़ा रहा था तो एक भला आदमी अंदर गया और उसने देखा कि मास्टर बच्चों को बता रहा था कि गंगाजी जा करके अरब सागर में गिरती हैं। तो उस भले आदमी ने कहा कि मास्टर जी, गंगाजी अरब सागर में नहीं गिरती बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो उस मास्टर ने कहा कि 1200 रुपए में तो गंगाजी अरब सागर में ही गिरेंगी। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की अगर कल्पनाएं ही की जाए, अगर गांव के लोगों के आंसू पोंछने के लिए इस प्रकार के टीचर्स की व्यवस्था की जाए तो अनुचित है और यह असमानता मिटाई जाए और वहां पर भी योग्य और अच्छे शिक्षक लगाए जाएं। एक मेरा यह भी निवेदन है कि सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो आने वाले समय में है कि आज आपके देश में ऐड्स से संक्रमित बच्चा पैदा हो रहा है, एच0आई0वी0 पॉजिटिव बच्चा पैदा हो रहा है। उन बच्चों को भी देश का बच्चा माना जाना चाहिए। उन बच्चों के लिए कैसे काम किया जाये इस पर भी गहन विचार होना चाहिए। आने वाले समय में काफी तादाद में ऐसे बच्चे पैदा हो जायेंगे जो एच0आई0वी0 से संक्रमित होगें। इसके बारे में मेरा मंत्री महोदय से खास निवेदन है। क्यूबा में एक ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई एच0आई0वी0 से संक्रमित महिला है और वह गर्भवती है तो उसकी सहमति से या प्रेगनेंसी से पहले उसकी बच्चेदानी का आपरेशन कर देते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई कल्पना, ऐसी कोई बात इस देश में भी की जानी चाहिए ताकि एच0आई0वी0 से संक्रमित बच्चे पैदा न हो सकें। यह कोई जीरो से चौदह साल के बच्चों की बात नहीं है, यह जीरो से साठ साल तक के व्यक्ति की बात है, यह जीवन पर्यन्त की बात है। इसलिए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि डिस-एबिलिटीज के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है। डिस-एबलिटीज को डील करने के लिए रेजीडेंशियल स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। पहाड़ और रेगिस्तान के बच्चे जो आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं या आंखों से विकलांग हैं, वे बच्चे अपने निवास से दो-चार किलोमीटर दूर तक पैदल नहीं जा पाते हैं और वे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं इसलिए उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें डिस-एबिलिटी के बारे में केवल प्रिवेंशन की बात कही गई है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन हो । मुझे बहुत ही खुशी है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी लोगों के सहयोग से पोलियो को करीब-करीब हमने जीत लिया है। यह बहुत ही खुशी की बात है। आज की तारीख में जितने भी डिस-एबल हैं, उन सबका रिहेबिलिटेशन करने का कार्यक्रम इस चार्टर में होना चाहिए था। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बात की तरफ ध्यान देंगे और कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और इस चार्टर का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे दिए गए सुझावों को इसमें इनक्लूड करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान) : आप राजस्थान से हैं। मैं आपकी बातों का समर्थन करती हूं।

SHRI BIRABHADRA SINGH (ORISSA): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I must thank the Chair, who has permitted me to speak in Oriya. But, with the permission of the Chair, Sir, I would like to speak in Hindi, in English, and whenever I cannot express my views, I may be allowed to

speak in my mother tongue, about which I have given in writing. First of all, I must thank the hon. Minister, Shri Joshi ji, who has presented yesterday this Charter in this House for discussion and for adoption. In the presentation period, he spoke in a language as if it were coming from his heart. Though it is late, still, in due course of time, we have thought that something has gone wrong somewhere in our entire system, and all of us, right from our educational system to our social system, up to the administrative system, are now thinking that we have to correct it wherever there is a loophole. Sir, I remember one thing when I saw the television on the occasion of the oath-taking ceremony of the Chief Minister of Madhya Pradesh that some *sadhus* and *sants* were also invited to the dais to be present on the occasion of the oath taking ceremony. I too had been a part of this process. I had also become Minister twice in my State, but I have never come across such a scene. So many political leaders and so many dignitaries were invited, but some coloured-dressed *sadhus* and *sants* were also invited. There might be some internal meaning.

Sir, anybody can take it in any other way, but I will take it in a different way. If we forget our *sadhus* and *sants* and our old ethics, then we are definitely far, far away from our emotional intelligence. If we forget our old ethics and heritage, then, I think, we are far, far away from our moral intelligence no doubt. Sir, today, in the field of education, we are intelligent, no doubt but, I doubt, whether we are deficient in moral intelligence. Sir, I remember, when Dr. Rajendra Prasad was the President of India, one Acharya Tulsidas met him and advised that at least moral teaching should be imparted to students through educational system and Dr. Rajendra Prasad immediately wrote to the then Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru to hear Acharya Tulsidas. Whether it was incorporated or not, I am not going into the details. But after some time, it was found that our educational system was definitely wrong. Sir, the Charter which has been placed today is meant for children, so I must stick to points on children. Sir, when we speak about children, we should not forget about the condition of parents and teachers. "Like parent like son", because home is the first educational system where children are to learn something from their parents.

अब मैं हिन्दी में कहूंगा कि हमें इतनी सुविधा है कि जब हम फ्रेश एयर चाहते हैं, जब हम ठंडी पवन चाहते हैं, फ्रेश हवा चाहते हैं तो हमें मुफ्त में मिलती होगी लेकिन यदि हम चाहें कि धूप के दिनों में ठंडी हवा मिले या ठंड के दिनों में हमें गरम हवा चाहिए तो हमें उसके लिए खर्च करना पड़ेगा।

We have to pay something, otherwise we cannot get the cold wind in the summer and hot wind in the winter. If we want pure water, then we can say God has given us enough. But when we want cold water in the summer season, then we have to pay something. If we want some mechanically purified water, then we have to pay something. Likewise, when we are in the clutches of unnecessary things, then everything gets in disorder. Therefore, Sir, our educational system should be developed in such a manner that we should be able to find out which is necessary and which is unnecessary. Sir, if it is imparted through education, then we can have a better society in future. We say that children are the future of our society, but what are the parents? Have we ever thought of what the teachers are? Just like that, one of my friends from Rajasthan was mentioning about teachers' appointments. Do you have any assessment of the type of teachers you are engaging for our children to build their future? Sir, when I was a Minister, I had got elected for the first time in 1971.

कल का जो हमारे माननीय बालकवि जी का और माननीय जनेश्वर मिश्र जी का भाषण था, वह बहुत ही हार्ट टचिंग था और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उसे बहुत गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से इस पर विचार करके कार्य करेंगे। जोशी जी जब इलेक्शन के समय हमारी कॉन्स्टीट्यूऐंसी में गए थे, हमारे उड़ीसा में इलेक्शन हुए थे, तब हमने उन्हें देखा था। हम कभी मिनिस्टर थे हम दो बार, लेकिन कभी हमने इस तिलक लगे मिनिस्टर को पहले कभी नहीं देखा था। तिलक का मतलब क्या है? मैंने किसी संत से सुना है कि जब हम तिलक लगाते हैं...

On the forehead there is a point where the third eye opens, and if a person puts a *tilak* or even some *tulsi ki mitti* there--संत लोग जो तुलसी की मिट्टी लगाते हैं, यह कितना साइंटिफिक है, I do not know, there must be some reason for that--and anyone who puts a *tilak* on his forehead, has definitely some noble ideas or some morals. For that, he puts a *tilak*. Therefore, Sir, from that day onwards, I have come closer to the hon. Minister, Mr. Joshi. I am a Member of the Consultative Committee concerning the Ministry of Science and Technology. Whenever I come across his ideas, his thoughts, I start believing that he can do anything, he can change anything. He deserves compliments for that. I find that all the Members who spoke yesterday, and also those who have spoken today, have made very valuable suggestions. One of my friends, sitting on my left side, before the lunch hour, stated that the hon. Minister had said that the mother's womb is the safest place for a child and my hon. friend differed with him. He had argued that बच्चों के लिए तो यह सेफेस्ट है लेकिन जो बच्ची है, उसके लिए यह सेफेस्ट नहीं है। मैं एक ट्राइबल होने के नाते यह कहूंगा कि ट्राइबल सोसाइटी में जो चल रहा है, अभी

3.00 p.m.

जो अंधविश्वास है, जो कुसंस्कार है, उनके कारण न तो बच्चों के लिए और न ही बुच्चियों के लिए वह सेफ है। वह तो दोनों के लिए खतरनाक है क्योंकि गांव के अनपढ़ आदिवासी हैं। मैं केवल अपने इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, सारे भारत में मैंने देखा है, आदिवासी ट्राइबल कमेटी के tour पर मैं जाता रहता हूं। जब किसी आदिवासी हरिजन बस्ती में मैं जाता हूं... *(Time bell)* I am completing it, Sir.

My point is ये जब नशे के आदी हो जाते हैं, if a mother is intoxicated by liquor at the time of pregnancy, the condition of her baby can't be imagined. Therefore, through this debate on the Charter, I want to make an appeal to the hon. Minister. At the time of pregnancy, not only a tribal Harijan mother but every mother or her husband should feel that the expected child will be not only their future but also the future of our nation, the future of our society. Therefore, both tribal and non-tribal mothers should be free from intoxicants like wine. Sir, in India, intake of wine or liquor by expectant mothers should be banned and should be made punishable. It should be banned everywhere in the world. There should be a system in which intake of wine or any other intoxicant by a mother at the time of pregnancy should be made a cognisable offence.

PROF. R.B.S. VARMA: And also for a father.

SHRI BIRABHADRA SINGH: Okay. Also for a father. मैंने पढ़ा था किसी मैगजीन में कि जब एक फादर या मदर इनटॉक्सिकेटेड होते हैं, तो तीन पीढ़ियों तक उनका वह इनटॉक्सिकेशन ब्लड में जाता है। इसलिए मैं ट्राइबल लोगों के लिए कह रहा हूं क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, उनके पास नेसेसिटीज़ नहीं होती हैं। अभी जो डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है आदिवासियों के लिए, वहां से जब बच्चे निकलते हैं। मैंने महाभारत में पढ़ा है कि जब कौरव और पांडवों को अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य तैयार हुए थे, उस समय एक आदिवासी नौजवान अचानक जंगल के इलाके से आया और उसने भी कोशिश की कि उसे भी राजकुमारों के साथ अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा मिले लेकिन उसको परमीशन नहीं दी गई। बाद में मैंने जो पढ़ा है। I am not narrating everything--everybody knows that; whatever was there in Mahabharata. The secrecy which was not disclosed by Guru Dronacharya at that time even to his beloved student Arjuna or to his beloved son Ashwatthama was captured by that boy, Ekalavya. इसी प्रकार जब हमारे नौजवान आदिवासी लड़के जो हैं, उनको जब अच्छे तरीके से रखा जाएगा, उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा तो वे देश के लिए अच्छे साबित होंगे। इसके साथ ही मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

मेरे कुछ सुझाव हैं इसीलिए मैं एक दो प्वाइंट में अपने सुझाव देकर खत्म कर रहा हूं। एक सुझाव मैंने यह दिया कि किसी भी मदर प्रैगनेंसी में किसी प्रकार का इन्टोक्सिकेशन नहीं होना चाहिए और we want a better child in the society. We want better

students, fathers and mothers. Today's young boys and girls are the fathers and mothers of tomorrow. At least, at the college level, if not possible at the school level, the students, both boys and girls, must be taught Gita, the Upanishads, the moral thoughts and teachings of our ancient Rishis who are wise. इसको कहा जाता है The Rishis are experienced and enlightened people. यह उनकी बोली नही है। It is not their speeches. We can speak many things. कल ऑनरेबुल मैम्बर्स बालकवि बैरागी और जनेश्वर मिश्र ने जैसा भाषण किया था और हमारे ऑनरेबुल मिनिस्टर ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया है, यह उनके अंदर की बात है। इसलिए सर, जो हमारे ऋषियों के वचन हैं उनको जब हम अपने नौजवानों को इम्पार्ट कर सकते हैं, जब हम उनको अपने नौजवानों के जीवन में उतार सकते हैं throw the syllabus and curriculum. Then, definitely, after some time, we will be able to develop better children in the society. We have lost 50 years. Let us not delay it further. I hope the hon. Minister is competent enough to tackle the situation. इसीलिए सर, मैं अपनी थोड़ी बात कह कर खत्म करता हूं। संस्कृत में एक कहावत है और एक श्लोक जो कल कहा गया था कि 'लाल मत पंच वर्षाणी, दस वर्षाणी ताड़िए'। इसलिए एक सोसाइटी में एक अच्छा लड़का पैदा हो जाएगा, संस्कृत में चाणक्य सूत्र में है... आज जितने भी घोटाले हो रहे हैं, जितने भी असामाजिक कार्य हो रहे हैं, सब अच्छे भले लोग तो हैं। जब ईमानदार आदमी का लड़का- लड़की ये सब जो पेपर में निकल रहा है कर रहे हैं, इसलिए यह मेरी विनती है, अर्दास है, I appeal to the hon. Minister, to take definite steps. I hope it will be fruitful this time and it will be realised. हम कुछ शुरुआत करेंगे, हमारे बाद जो आएंगे वे उसको आगे बढ़ाते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे जैसे रिले रेस में होता है। ऐसे होते हुए हमारे जो आगामी बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं उनको हम पैदा कर सकें। इसी के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देकर वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं, हरिओम् तत्सत।

श्री विद्या निवास मिश्र (नाम-निर्देशित) : महोदय, मंत्री महोदय ने जो यह चार्टर रखा है, स्वागत योग्य है। मैं केवल तीन बातों पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारी शिक्षा में अब तक मौखिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी संस्कृति में वाचिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। उस वाचिक संस्कृति योगदान से बच्चे वंचित हो रहे हैं। उन्हें वह शिक्षा दादा, दादी से मिलती थी, बड़े-बूढ़ों से मिलती थी, उस शिक्षा से वे वंचित हो गए हैं परिवार के विघटन के कारण और कुछ बच्चों को जल्दी ही किसी न किसी छोटे से स्कूल में भेजने के कारण। इससे उनकी कल्पना शक्ति में विकास नही होता है। इससे उनको वह सौहार्द, वह वात्सल्य, वह प्रेम नहीं मिलता है जो उनके पोषण के रूप में रहता है और उनकी वृद्धि का कारण बनता है। इसलिए वाचिक शिक्षा केवल भाषा की नहीं होती, केवल कहानियों की नहीं होती वह कला की भी होती है। लड़कियां जो कला सीखती थी उनसे वे वंचित हो रही हैं। बच्चियां जो गाना सीखती थीं उन लयों से वे वंचित हो रही हैं। लय से वंचित होने का अर्थ है देश की लय से वंचित होना। इसके लिए पहले एक रिव्यू कमेटी बनी थी जिसका मैं सदस्य था। हम लोगों ने सुझाव दिया था। वह रिपोर्ट ताक पर रख दी गई। हमने यह सुझाव दिया था कि ऐसे शिक्षक भी रहने चाहिए जो अशिक्षित भी हों। किसी न किसी कला में प्रवीण हो। कुछ समय ही बच्चों को शिक्षा दें। बच्चों के पास समृद्ध कला की शिक्षा हो, हुनर की शिक्षा हो।

महात्मा गांधी जी ने आंख, मन और हाथ, तीन चीजों का योगदान शिक्षा में किया था। आज आंख का उतना योगदान नहीं है। आंख खुली हुई नहीं है, कुछ चीजों तक सीमित है, कुछ रंगों तक सीमित है लेकिन प्रकृति के अनेक रंग हैं, अनेक फिज़ाएँ हैं, ऋतुओं के अनेक रंग हैं, उनसे वे परिचित नहीं होते। इसका उन्हें मौका नहीं मिलता। बच्चों की शिक्षा, विशेषकर पब्लिक स्कूल की शिक्षा बच्चों को मौका नहीं देती। उन्हें इतना होमवर्क सौंप देती है कि खेलने का मौका नहीं देती, खुले मैदान को देखने का मौका नहीं देती। वे दौड़ते हुए चले जाते हैं, बोझ से दबे हुए चले जाते हैं और उसी बोझ का सपना देखते हैं। यह अच्छे सपनों का भी मौका नहीं देती। इसलिए जब तक उन्हें इस बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक उनकी शिक्षा में पूर्णता नहीं आएगी, कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा।

दूसरी बात यह है, यह बहुत ही आवश्यक चीज है कि बाधिक शिक्षा के अभाव के कारण कला शिक्षा नहीं मिल रही है, हुनर की शिक्षा नहीं मिल रही है, जो गांव में उनके लिए उपयोगी हो सकती है, शहरों में भी उपयोगी हो सकती है। अगर कोई न कोई हुनर उन्हें सिखाया जाए तो सभी के सभी बड़े उच्चाधिकारी नहीं बनेंगे लेकिन उनके लिए जीवनयापन करने की कोई विधि वहीं मिली जाएगी। इसकी शिक्षा उन्हें बचपन में दी जानी चाहिए और हुनरमंदों के द्वारा दी जानी चाहिए। डिग्री पास लोग शिक्षा नहीं दे सकते। जिनके पास हुनर है वही शिक्षा दे सकते हैं। उनका शिक्षा में योगदान होना चाहिए।

दूसरी चिंता की बात यह है कि भाषा का क्षरण हो रहा है। भाषा का स्टैण्डर्ड दिन-प्रतिदिन गिर रहा है। अच्छी भाषा सुनने को नहीं मिलती है, कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलती है। हम तरस जाते हैं कि अध्यापक भी अच्छी भाषा बोलें। इसका कारण यही है कि प्राथमिक कक्षा में, प्राइमरी स्कूल में भाषा का जो संस्कार दिया जाता था वह अब नहीं दिया जा रहा है। उस पर बल नहीं है। चाहे भाषा की अस्पष्ट नीति के नाते, चाहे इस नाते कि प्रतिस्पर्द्धा में एक भाषा खड़ी है। जो भाषा स्वर रटन्त सिखाई जा रही है, जिस भाषा में कोई संवेग नहीं है, कोई भी संवेदना नहीं है वह सिखाई जा रही है, उसी भाषा को सामने खड़ा किया जा रहा है। जो अपनी मातृभाषा है उसका धीरे-धीरे क्षरण होता चला जा रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है। भाषा के महत्व को कैसे लाया जाए, इस पर गहरा विचार-मंथन होना चाहिए।

तीसरी बात जो बहुत आवश्यक बात है, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक शिक्षा का उद्देश्य हमने जीविका मान लिया है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को समर्थ बनाना है। जिस शब्द से शिक्षा शब्द निकला है, माननीय जोशी जी अच्छी तरह जानते हैं, वह धातु है शक् शक् का अर्थ है सकना, समर्थ होना। शिक्षा समर्थ बनाने के लिए है। जो व्यक्ति तैयार हो शिक्षित होकर समर्थ हो, जीवन में दुख सहने में समर्थ हो, सुख में इतराए नहीं, ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। वह शिक्षा तभी दी जा सकती है - अभी हमारे एक सभासद् ने कहा है कि हम उस शिक्षा में ऐसे संदेश भरें, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाले हों। जो मनुष्य के भीतर मनुष्य की पीड़ा के लिए संवेग उत्पन्न करने वाले हों, अगर वह शिक्षा नहीं दी जाएगी, केवल प्रयोजनमूलक तथाकथित शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षा का वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इन्हीं तीन बातों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बहुत समय नहीं लेना चाहता। मुझे अंत में समय भी दिया गया, लोग ऊब भी रहे होंगे, मैं केवल इन्हीं तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इनके लिए क्या किया जाए, इन तथाकथित सार्वजनिक व अत्यंत निजी व्यावसायिक स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर भाषा का क्षरण किया जा रहा है और जो एक मानक तैयार किया

जा रहा है, जो बच्चे गांव में पढ़ने वाले हैं, उनके सामने हार का, हीनता का एक भाव पैदा किया जा रहा है, इसका उपाय क्या होगा। वस्तुतः इसके लिए कमीशन होना चाहिए जो जांचे कि पब्लिक स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, वह इस देश के अनुरूप है या नहीं। जो बच्चे तैयार होकर आएं, उन्हें महीनों का नाम न मालूम हो, ऋतुओं का नाम न मालूम हो, दिनों के नाम न मालूम हों। गिनती न मालूम हो, देश में होने वाली प्रमुख फसलों के नाम न जानते हों तो वह शिक्षा किस काम की है। गांवों के पब्लिक स्कूलों में अगर ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो वह शिक्षा किस काम की होगी, शहर मे अगर ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो एक विभाजन होगा। गांवों की शिक्षा अलग, शहर की शिक्षा अलग, शिक्षा तो एक होती है, शिक्षा एक संपूर्ण शिक्षा होती है। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें शहर का विद्यार्थी भी गांव के बारे में जाने और गांव का विद्यार्थी भी शहर के बारे में जाने, शहर के संस्कार के बारे में जाने, शहर के तौर-तरीके के बारे में जाने, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इस समय संसाधन इतने विकसित हैं कि गांव से शहर में आना और शहर से गांव में जाना, जाने कब होगा, कुछ पता नहीं। इस समय एक संतुलन नहीं है। शहर में पढ़ने वाला जब गांव में जाता है तो वह अपने को बहुत असहाय पाता है और गांव में पढ़ने वाला जब शहर में आता है तो वह बहुत असहाय पाता है। ऐसी शिक्षा क्यों दी जाती है? इसलिए ऐसी शिक्षा का प्रावधान बचपन से ही होना चाहिए, मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री आर0 एस0 गवई (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री श्री जोशी जी का अभिनंदन करता हूं। सदियों के बाद, करीब 29 साल के बाद, जबकि बच्चों के लिए घोषणा घोषित हुई थी इस विषय पर आज वर्ष 2003 में उसको एक नया स्वरूप देने के लिए जो चॉर्टर उन्होंने इस सभाग्रह के सामने रखा है इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का मन से अभिनंदन करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय होने से इस वाद-विवाद में मेरा भी हिस्सा हो, इस उद्देश्य से केवल पांच मिनट की तकरीर मैं देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, जो बच्चों का चॉर्टर हमने सामने रखा है उसके विस्तृत विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दरिद्र रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उन्हीं के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं एक देहात से आता हूं। कई बच्चों का तो जन्म ही खेती में होता है, क्योंकि जब उसकी मां खेत में काम करती है तो उस समय उस बच्चे का जन्म भी वहीं पर होता है। महिला खेत मजदूर जब खेत में काम करने जाती है तो उस समय वह दो महीने के बच्चे को खेत में जमीन पर कपड़ा बिछा कर और उस पर उस बच्चे को लिटा कर दिन भर खेत में काम करती है। चार-पांच दिन पूर्व का मेरा स्वयं का अनुभव है जब नॉर्थ एवेन्यु में घर की रिपेयरिंग के लिए मजदूर आए। उस समय एक मज़दूर बहन ने अपने 6 महीने के बच्चे को नीचे फर्श पर एक रुमाल पर डाला और काम करने लगी। तब मेरा ख्याल उस ओर गया। मैंने कहा बहन जी, आप रोज क्या कमाती हो तो वह कहती है कि डेढ़ सौ रुपया। तब मैंने कहा कि यह लो डेढ़ सौ रुपया और जाकर बच्चे की देखभाल करो, उसकी फिक्र करो। ऐसे बच्चों के लिए अगर पालनाघर में जाकर जहां उसकी प्रोटैक्शन के लिए दाई होती है, उसके संरक्षण का प्रबन्ध होता है, तो करोड़ों की तादाद में जो मां-बाप दरिद्रता के नीचे हैं और उनके बच्चों के लिए कोई प्रोटैक्शन नहीं है, इसका प्रावधान अगर हमारी इस घोषणा में हो सके तो यह एक आवश्यक व अच्छी बात होगी। दूसरी बात यह है कि बच्चों की मैरिजज एक निश्चित उम्र के नीचे होती हैं।

कई बार अखबारों में हम समाचार पत्रों में एक विशेष उम्र के बच्चों के सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का समाचार पढ़ते हैं और उन बच्चों की शादी में राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित नेता भी उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे विवाहों पर पाबंदी होने के बावजूद भी ये विवाह हो रहे है। दुख की बात यह है कि ये विवाह सामाजिक स्वरूप में राजनीतिक दलों के नेताओं की उपस्थिति में होते हैं। महोदय, यह भी हमारे लिए एक गंभीर बात है। एक बालिका के जन्म को समय पूर्व ही रोक लेना एक और गलत बात है, लेकिन ये विवाह निश्चित रूप से गंभीर बात है। अब एक बात और हमारे सामने आ रही है कि आज पूरे राष्ट्र में 1 हजार पुरुषों पर 9 सौ महिलाओं का फिगर है जोकि इस स्थिति के अन-ईवन होने का प्रमाण है और 15-20 साल के बाद यह एक गंभीर सामाजिक समस्या निर्मित करने वाला सवाल है। तो जब हम इक्विलिटी ऑफ द स्टेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं तो बालिका के जन्म होने के पूर्व अगर कोई आधुनिक मेडिकल साइंस का सहारा लेकर ऐसा करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, कल आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी बोल रहे थे कि हम बच्चों के मामले में बड़ी-बड़ी तकरीरें देते हैं और कहते हैं कि they are the pillars of the nation, वह राष्ट्र के आधार स्तम्भ होंगे, उन का भविष्य-काल उज्जवल होगा। मगर वह तब उज्जवल होगा जब हम उन के लिए ऐसा वर्तमान-काल बनाएं, वह ऐसी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ऐसा संरक्षण प्राप्त करें कि सही मायने में वह इस देश के लिए एक आधार स्तम्भ, एक दीप स्तम्भ बनें। महोदय, समान शिक्षा का तो मैं भी आदर करता हूं। आज उदारीकरण में नए स्कूल भी आ रहे हैं। इन में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेज तो बड़े बच्चों की चीज है और गरीब और दलित वर्ग के बच्चे तो उन में नहीं पढ़ सकते। They can not afford to pay the fees. इस का मतलब गुणवत्ता होने के बावजूद भी अगर उच्च स्तर की शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं होती है तो यह दोष गरीबी का भी है और शासन का भी है। समान शिक्षा में पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों में फर्क रहता है। एक इंटरनेशनल स्कूल, कॉनवेंट स्कूल है, मराठी स्कूल में पढ़ता है तो बच्चे जिनका मन उस आयु वर्ग में बहुत कोमल होता है, वह एक स्वरूप ले लेता है। इस तरह अगर हम समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके, सब को समान अवसर प्राप्त नहीं करा सके तो बच्चों के प्राथमिक शिक्षण में जो अंतर है, वह हमेशा बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि बच्चों के लिए समान शिक्षा अत्यंत आवश्यक है क्योंकि खासकर उस में जो एक वातावरण का अंतर छोटी उम्र के बच्चों को मिलता है, वह आखिर तक टिकता है। आज उनके इतना निकट जात, धर्म, पंथ, गरीबी, अमीरी का निर्माण हुआ। हम यह चाहते थे कि स्वाधीनता के बाद यह सब अंतर कम होता जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है कि वह कम होने के बजाय बढ़ने लगा। कल आदरणीय जनेश्वर जी बोल रहे थे कि उनकी मां ने बोला कि तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारी नाल एक अनुसूचित जमात की महिला ने तोड़ी, मां को दूध नहीं था तो दूध भी पिलाया। फिर वह बोलने लगे कि ऐसा होने के बाद भी उस महिला को आप स्पर्श नही कर पाते थे। वातावरण के प्रभाव में आज यह छोटी छोटी चीजें कम हैं, बीज के रूप में है जो आगे चलकर वृक्ष के रूप में पैदा होती हैं। इसका भी एक अच्छा प्रभाव प्री-प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बच्चों के ऊपर होने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं लंबा भाषण नही करना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चों का एक प्रीएंबल घोषित हुआ, जो बड़ा लंबा है, बड़ा अर्थपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि

अगर उस प्रीएंबल का हमारे इस कार्यक्रम में समाविष्ट हो सके तो हमारा यह चार्टर भी ठीक ढंग से रहेगा। इसके अलावा बच्चों के बारे में जो विचार अब्राहम लिंकन के रहे, आइजन हावर के रहे, पंडित जवाहर लाल नेहरू के रहे, इन सबके कुटेशन इकट्ठा करवा कर अगर इस घोषणा में शामिल किए जाएं तो यह एक आदर्श चार्टर होगा, आइडियल होगा बच्चों के लिए, बच्चों के माता-पिता के लिए, आज के वातावरण के लिए, आम जनता के लिए। मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता, फिर भी करीब 26 साल के बाद यह डिकलेरेशन बच्चों के बारे में, जिसकी निहायत आवश्यकता आज के वातावरण में है, माननीय मंत्री जी लाए, इसके लिए उनका धन्यवाद। मैंने जो कुछ विचार यहां कहे हैं और दूसरे जो सम्मानित सदस्यों ने भी कहे हैं, आशा है आप उनको अवश्य स्वीकारेंगे और नेक्स्ट समय, अगली बार इस बारे में फिर से हमें मंत्री जी अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त कराएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस डिकलेरेशन का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (डा0 ए0 के0 पटेल) : धन्यवाद। प्रमिला जी, आपकी पार्टी से बोल चुके हैं, मगर फिर भी आप दो मिनट बोल लीजिए। You are given only two minutes.

MS. PRAMILA BOHIDAR (Orissa): Hon. Vice-Chairman, Sir, I would like to say a few things for the consideration of the hon. Minister for Human Resource Development who has presented the National Charter for Children, 2003. This is a well thought-out and elaborately drafted document. This document is in fulfilment of the National Agenda for Governance adopted by the National Democratic Alliance Government in 1999.

Now, I would like to express my views in Oriya.

†Mr. Vice-Chairman Sir, I would like to express my profuse thanks to the Hon'ble Minister of Human Resource Development for having brought the National Charter for children, 2003. This is a very well thought out and elaborately drafted document. This document is in part fulfilment of the national agenda for governance adopted by N.D.A Government in 1999. Now I would like to continue my speech in Oriya to express my views on the motion.

Sir, there are many provisions incorporated in our Constitution for the development of women and children. There are also certain constitutional provisions for the development and welfare of the children in our society. The relevant articles of the Constitution are Art. 15.3, Art. 24, Art. 39 Art. 51. In Article 24 of the Constitution, it has been prohibited to engage children below 14 years of age, in industries and mines as labourers. But it has not been clearly stated whether the children can be

† English Translation of the Speech in Oriya.

engaged as labourers in other sectors. Everywhere we come across children below the age 14 engaged as domestic servants. The number of child labourers employed in small hotels and tea-shops is the maximum.

There is an urgent need to rescue the child labourers and rehabilitate them properly by providing proper education and social security. It has also been found that such parents who live on begging also force their children to be beggars. There is a need to rehabilitate these street beggars, otherwise in their later lives they will indulge themselves in bigger anti-social activities. It is not always true that only children of poor families are neglected. It has also been found that children of well-to-do families are also misguided due to lack of proper education and guidance. This results in disharmony in the society. The first victim of advanced Medical Science is female foetus. A female child is unwanted in the society due to the prevailing social evils like dowry. Parents shy away from spending money on female child, on her education and health care. If we really want to save future mothers of our country then there is a need to provide equal opportunity and protection to both the male and female child. Education is the fundamental right of everybody in the society. Proper environment and education each required for the allround development of a child. Education makes him cultured and develops his personality.

Sir, education can only ensure a progressive and healthy society in our country. The purpose of education is character building. There is disharmony in the society, because we have all been misguided and have lost direction at some point of time. As the life of a building depends upon the strength of its foundation, similarly the future of the country depends upon its children. Children are the future of the country. If we want them to be good citizens we should provide them with good upbringing and guide them on the right path. The parents and teachers have a greater responsibility in providing proper upbringing to the children. The children should grow in the right kind of environment not only in their homes but also in schools. Home is the first school of a child and the mother is the first teacher. The child gets influenced by the mother, father and other members of the family, and the society as a whole, but knowingly or unknowingly the child grows under the maximum influence of the mother. Therefore the mother should be the embodiment of all the good qualities. Mother plays a dominant role for the spiritual and moral development in the personality of a child. Only a mother can guide the child properly. The school is the second home where the character and intellectual development

of the child take place. Therefore the school teacher has a major role to play in building the character of the children through moral education and making them good citizens of the future. The teachers have to be models for their students, then only an allround development of the child will be possible.

I, therefore urge that this Charter must take care of all those points before it is adopted by the august House during the 200th Session of Rajya Sabha. Thank you.

डा0 मुरली मनोहर जोशी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस सदन में इस परिचर्चा पर बहुत ही गंभीर, महत्वपूर्ण एवं कारगर सुझाव सुनने का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि इस विषय पर जितनी गंभीरता अपेक्षित थी, उन्होंने उसी गंभीरता से इसे यहां पर चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया। निःसंदेह जो कुछ यहां कहा गया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई असहमत हो क्योंकि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना सर्वस्पर्शी है, इतना दूरगामी है और इतने पहलुओं से संबंधित है, इतना multi-dimensional है कि इसके बारे में हम जितना सोचेंगे, जितना कहेंगे, वह उतना ही उपयोगी होगा और व्यवहार में लाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा।

महोदय, मुझे एक छोटी-सी बात यह कहनी है कि यह जो मसविदा हमने यहां रखा है, वह शिक्षा से सीधा संबंधित नहीं है यद्यपि वह शिक्षा को कवर करता है, आच्छादित करता है। शिक्षा नीति के बारे में और शिक्षा से संबंधित चर्चाएं हम इस सदन में कई बार कर चुके हैं और आगे फिर करेंगे। संविधान संशोधन करते समय हमने उसमें एक प्रावधान किया है कि इस देश में एक कानून बनेगा शिक्षा के मौलिक अधिकार को प्रदान करने के संबंध में। वह एक अवसर होगा जब आपके इन महत्वपूर्ण सुझावों का और अधिक असर सरकार की नीति पर, देश की नीति पर और शिक्षा की व्यवस्था पर पड़ेगा।

महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लगभग सभी सदस्यों ने दोहरी शिक्षा प्रणाली का उल्लेख करते हुए, उस पर चिंता प्रकट की है। मैं तो स्वयं निजी तौर पर अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में जिसे Neighbourhood School कहते हैं, उसका समर्थक रहा हूं। जब मैं 6-7 विद्यालयों के प्रबंध से संबंधित था, तब भी मेरे बच्चे निकटस्थ म्युनिसिपल नर्सरी में पढ़ते थे जहां बैठने के लिए चटाई तक नहीं थी। वहां से मैंने अपने बच्चों की शिक्षा शुरू की। उसके बाद बंगला माध्यम का विद्यालय था, उसमें वे पढ़े। उसके बाद निकटस्थ हिंदी माध्यम का कान्वेंट था, वे वहां गए। उसके बाद वे विश्वविद्यालय गए। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छे विद्यालय चलाते हैं, कितने ही अच्छे विद्यालयों से आप संबंधित हैं, आप अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने कहा कि मैं अपने सार्वजनिक दायित्वों के कारण उन विद्यालयों से संबंधित हूं लेकिन मेरा निजी विश्वास Neighbourhood School पर है। बहुत पहले कोठारी कमीशन ने इस बात का सुझाव दिया था कि Neighbourhood School होने चाहिए। जब तक Neighbourhood School नहीं होंगे, समान शिक्षा नहीं हो सकती। इस सदन में बैठने वाले

अत्यंत प्रखर वक्ता, जो समान शिक्षा के बड़े तार्किक ढंग से समर्थक रहे हैं, उनमें से बहुतों के बच्चे कहां पढ़ते रहे हैं, इसका उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन यह हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करेगा कि जब हम यहां बैठकर एक-समान शिक्षा की वकालत करते हैं और सारे देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली के बारे में चिंताएं और सरोकार व्यक्त करते हैं तो हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाते हैं? जब तक दोहरी मानसिकता यहां रहेगी, शिक्षा भी दोहरी बनी रहेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समान शिक्षा का प्रावधान है जिसे इसी सदन ने पास किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है और उसे भी इसी सदन ने पास किया है। वह आप ही का प्रस्ताव है, वह आप ही की बनाई गई नीति है। हम जो नीतियां बनाते हैं, अगर हम उन पर आचरण नहीं करते हैं तो फिर समाज और देश में किस रूप में, किस ढंग से हम यह कहने का साहस रखते हैं कि देश में समान शिक्षा होनी चाहिए? मैं स्वयं समान शिक्षा का पक्षधर हूं लेकिन मेरे सामने कठिनाई यह है कि जिनसे भी हम बात करते हैं, वे हां तो कहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। यह सबसे बुनियादी बात है। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कहता हूं कि जो सरोकार हम शिक्षा के बारे में, भाषा के बारे में यहां व्यक्त करते हैं, उन्हें हम अपने आचरण में, अपने जीवन में लाएं। मैं मातृभाषा से पढ़ाने का पक्षधर हूं। मैंने एम.एस.सी. की कक्षाएं, भौतिकी की कक्षाएं हिंदी में पढ़ाई हैं। मैंने हिन्दी में इस देश का सबसे पहला शोध पत्र लिखा क्योंकि मैं मातृभाषा में -हिन्दी भाषा में पढ़ाने का पक्षधर हूं। मुझे कहना नहीं चाहिए था क्योंकि इसमें आपको कुछ लगेगा कि मैं आत्म-प्रशस्ति कर रहा हूं जिसका मैं अभ्यासी नहीं हूं। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि हम जिन बातों के लिए, जिन सिद्धांतों के लिए यहां वकालत करते हैं वह हम और हमारे सहयोगी और हमारे परिवारों के लोग कहां तक ले जाते हैं तो इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इस देश के अंदर हम समान शिक्षा प्रणाली ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। मैं चाहता हूं कि वह दिन जल्दी जाए। मुझे मालूम है इसका। मैंने इस देश में इंडिया और भारत बनते हुए देखा है। इस देश में एक विभक्त मानसिकता बनी है। एक इंडिया बन रहा है और एक भारत बन रहा है। पता नहीं कि किस घड़ी में हमने अपने संविधान में इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख किया और अब तो इंडिया एंड भारत हो रहा है। एक भारत है जिसका जिक्र किया गया है जो गांव में है जिसके गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। वह भारत बना हुआ है, और दूसरी तरफ इंडिया बना हुआ है। आपने जिस बड़ी शिक्षाओं की, खर्चीली शिक्षाओं की और शहरी शिक्षाओं की चर्चा की है वे इस देश को इंडिया बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक भारत सिसक रहा है। यह मौजूदा परिस्थिति है। मगर इसको बदलने के लिए माफ कीजिए हम सबको प्रयत्न करने पड़ेंगे, हम सब को मिलकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन यह आएगा कि जो मातृभाषा में पढ़ेगा वह चपरासी बनेगा और जो अंग्रेजी में पढ़ेगा वह अफसर बनेगा। जो मातृभाषा में पढ़ेगा वह सिपाही बनेगा और जो अंग्रेजी में पढ़ेगा वह फौज में जनरल बनेगा। मैंने देखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में सिर्फ हिन्दी का उपयोग चपरासी से पानी लाने के लिए किया जाता है बाकी सब काम अंग्रेजी में होते हैं। तो जब आप मातृभाषा की उपेक्षा हर स्तर पर करेंगे, जब आप शिक्षा में से मातृभाषा को दूर कर देंगे फिर उसके बाद यह कहना कि हमारे देश में शिक्षा में दुर्व्यवस्था आई है, दुराव आया है, दोहरी आई हुई है तो यह बड़ा अजीब होगा। इस पर बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से यह बहुत अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में राजनीति या राजनीतिक मतभेद दूर करके काम कीजिए। गवई साहब ने कहा कि

1974 के बाद आज पहली बार यह चार्टर आया है। बहुत लोगों ने इसका स्वागत किया इसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन 1974 से आज तक क्यों नहीं आया। इस बात पर भी गहराई से विचार करना चाहिए। 1974 में राष्ट्रीय बालनीति बनी। 74 से आज तक दुनिया बहुत आगे चली गई, देश में बहुत कुछ परिवर्तन हो गए। लेकिन 74 से 1999 तक यह चार्टर क्यों नहीं लाया गया। हम क्या गंभीर नहीं थे, हमारे भी लोग संसद में थे ऐसा नहीं था कि मैं इस बीच में संसद में नहीं रहा हूं, मैं इसके लिए किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन हम सब जो संसद सदस्य थे हमने कभी भी इस बारे में क्या राजनीतिक नेताओं ने, दलों के अध्यक्षों ने इस बारे में गंभीरता से विचार किया कि 1974 में बालनीति बनी है और आज तक उसके क्रियाकलाप के लिए कुछ नहीं हुआ? हमने इस पर चिंता व्यक्त की, देखा और इसका अध्ययन कराने की कोशिश की। इसके बारे में कार्यशालाओं का आयोजन किया, राज्य सरकारों से परामर्श किया, विशेषज्ञों से परामर्श किया और तब देखा कि हमें तीन चीजें करनी चाहिए और मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हम इसके तीन अंगों पर विचार कर रहे हैं। जैसा माननीय बालकवि जी ने कहा कि यह बताया जाए कि यह चार्टर संकल्प पत्र है या संचेतना पत्र है या अभिप्राय पत्र है। वास्तव में अगर उसकी निकटस्थ परिभाषा होगी तो अभिप्राय पत्र से होगी कि हमारा यह अभिप्राय है और हम इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। चार्ट थ्रू दी रोड। हम यह रास्ता बनाना चाहते हैं। इस नीति ने हमें एक मोटा-मोटा खाका प्रस्तुत किया है। उसके आधार पर हमने एक यह नक्शा बनाया। पर इसको क्रियान्वित करने के लिए दो चीजों की जरूरत है - एक कानून की और एक प्लान आफ एक्शन की। हम दोनों बना रहे हैं। कानून लोक सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है जो वहां विचारार्थ है। एक्शन प्लान विचारार्थ केबिनेट के सामने जाएगा और उसके बाद आपके पास आएगा। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि हम इसकी गंभीरता से अपरिचित हों या इसके सभी पहलूओं से अपरिचित हों। सारा देश इससे परिचित है। जब सारे ही लोग इससे परिचित हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका कोई पहलू मालूम न हो। इसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। बालकवि बैरागी जी ने कल बहुत अच्छा भाषण किया। मैं पहले उसका उल्लेख करूं। उन्होंने वर्तमान के बच्चों के बारे में बात कही है। ठीक बात कही है और मैं उससे सहमत हूं। वर्तमान ही तो कल भविष्य बनेगा। जिस परिस्थिति में आज का देश है उससे मैं शतप्रतिशत सहमत हूं कि उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन सम्मानित सदस्यगण यह पिछले पचास साल का ही नहीं यह पिछले डेढ़ सौ, दो सौ साल का जो कालखंड रहा है, यह उसका नतीजा है कि हम आज बाल क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भटक गये हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है और जैसा एक सम्मानित सदस्य ने कहा था कि स्वाधीनता के बाद हम यह समझते थे कि इस मामले में सुधार होना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी एक मामले में इस देश ने सबसे गहरी उपेक्षा की है तो अपनी शिक्षा और अपने बच्चों की । आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। जिस हालत में आज हिन्दुस्तान है उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमने अपने देश में बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य की गहरी उपेक्षा की है। हमारे पड़ौस में चीन है। उसने 1967 से इस बात को स्वीकार किया कि अगर देश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले दो चीजों पर ध्यान देना होगा - शिक्षा और स्वास्थ्य । स्वास्थ्य के भी दोनों हिस्से, स्वास्थ्य का भोजन और दवाई। चीन ने इस पर काम किया है। हमें अपने पड़ौस से सीखना चाहिए कि हम कहां पीछे रह गये। हमने इन दोनों चीजों की उपेक्षा की है। उसका नतीजा यह है कि आज गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या अभी भी काफी है, हालांकि घट रही है फिर भी काफी है। उसका नतीजा यह है कि निरक्षर बच्चों की संख्या जितने

दुनिया में निरक्षर बच्चे हैं उसमें से आधी के करीब संख्या इस भारत में है। जितने बीमार बच्चे हैं उनमें से बहुत ज्यादा तादाद हिन्दुस्तान में है। अब इसको आप यह कहें कि एक रात में या एक साल में या दो साल में कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई प्रधान मंत्री इसको दूर कर सकेगा तो यह एक मेरी दृष्टि से एक अव्यावहारिक बात होगी। यह संभव ही नहीं है क्योंकि ये डेढ़ सौ, दो सौ साल में जो तमाम गलतियां हुई हैं उसका नतीजा है और इधर जिस रास्ते पर दुनिया जा रही है उसका जो परिणाम हम पर हो रहा है उसका नतीजा है।

मैंने कल भी कहा था कि 1/6 दुनिया के बच्चे हैं जो केवल सम्पन्न हैं जिनके लिए आप क्वालिटी शिक्षा की बात करते हैं, जिनके लिए आप हायर शिक्षा की बात करते हैं। माफ कीजिए दुनिया के 5/6 बच्चे जिसमें भारत भी शामिल है और सबसे ज्यादा शामिल है वे उसी वर्तमान में हैं जिसका उल्लेख कल बालकवि बैरागी जी ने किया था। गरीबी की समस्या के साथ जो सवाल जुड़ा हुआ है, मुझे क्षमा करेंगे उसका हल इस चार्टर में नहीं है। चार्टर तो उस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है और बता रहा है कि इस समस्या के लिए हमें क्या रास्ते अपनाने चाहिए। यह समस्या इसमें शामिल है। अगर आप इसका पुनर्वलोकन करेंगे तो आप पायेंगे कि आपके जितने सरोकार हैं वे इसमें शामिल हैं। हमने इसमें उन सभी सरोकारों के लिए योजनाएं भी बनाई हैं। उन योजनाओं का कुछ परिणाम भी हुआ है। जैसे मैं आज कह सकता हूं कि हमारे इस प्रयास का परिणाम यह हुआ है कि हमारे यहां बाल मृत्यु दर घट गई है, जो जन्म के समय ही बालक मर जाते थे उनकी दर घटी है, जो जन्म के एक साल बाद बच्चे मर जाते थे उनकी संख्या भी घटी है और जो पांच साल तक की अवस्था में मर जाते थे उनकी संख्या भी घटी है। लेकिन यह दर अभी बहुत कम है मगर घटी है। यह दर इसलिए कम है कि उसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो साधन होने चाहिए उन्हें यह देश उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। क्यों नहीं करा पा रहा है इस पर सदन में कभी चर्चा हो सकती है। लेकिन यह वस्तुस्थिति है। डेढ़ हजार करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं एक योजना में, ढाई हजार करोड़ के करीब खर्च कर रहे हैं दूसरी योजना के अंदर। खाद्य और पोषाहार के अंदर हम करीब-करीब सात सौ, साढ़े सात सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इससे क्या बनता है। जहां इस देश में 20 करोड़ बच्चे हों और उनमें से चार करोड़ बच्चे बिल्कुल स्कूल के बाहर हों, स्कूल में आने लायक स्थिति में न हों, वहां इससे क्या बनता है। लेकिन इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पोषाहार की व्यवस्था इसीलिए की है और हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं हर जगह, हर स्थान पर कि बच्चों को, गरीब बच्चों को ही नहीं बल्कि हरेक बच्चे को भोजन स्कूल के अंदर कम से कम प्राथमिक कक्षाओं में मिलना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार का मैंने हमेशा अभिनंदन किया है और भी सरकारों का जिन्होंने कक्षा 10 तक बच्चों को पका-पकाया भोजन दिया है।

सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की चिंता है। उन्होंने भी कहा है कि राज्यों का यह दायित्व है कि वे पका-पकाया भोजन बच्चों को दें ताकि वह पीड़ा जो आपने झेली, वह आने वाले बच्चों को न झेलनी पड़े। उनमें से किसी को भी भोजन के लिए भीख मांगने न जाना पड़े। यह चिंता है, यह सरोकार है और आज हमने इसके लिए सब प्रयत्नों को हर तरफ से समेटने की कोशिश की है। कल एक सम्मानित सदस्य इस बारे में चिंतित थे कि इतने अधिक पैसे कहां से आएंगे और इस प्रकार का भोजन कहां से देंगे? कैसे भी दें लेकिन मैंने यह देखा है कि जब संवेदना जागृत होती है, जब लोगों के मन में यह टीस पैदा होती है कि हमारे बच्चे हैं, इनको भोजन मिलना चाहिए तो लोग आते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि वही लोग सरकार को पैसा

497 RSS/04 – 17

देने में - किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो - उसको पैसा देने में हिचकिचाते हैं लेकिन वही लोग उन सार्वजनिक संस्थाओं को, उन स्वैच्छिक संस्थाओं को करोड़ों में पैसा देते हैं। परसों मैं बंगलौर में था। मुझसे इस देश के क्या, विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक अज़ीम प्रेमजी मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हम आपके इस कार्यक्रम से सहमत हैं, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों की शिक्षा में हम अपना धन लगाना चाहते हैं। अज़ीम प्रेमजी सरकार को भी दे सकते थे। गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बना दिया है। बड़े-बड़े जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, वे आज इस बात को अनुभव कर रहे हैं और मुझे यह बात कहने की इजाजत दी जाए कि पिछले चार-पांच सालों में निरंतर हमने इस बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठायी है कि भारत में शिक्षा की प्रगति तेज होनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों के साथ ठीक व्यवहार होना चाहिए, बच्चों का विकास ठीक होना चाहिए, यह उसका नतीजा है। आज यह जन चेतना पैदा हुई है और अगर आप इसमें सहयोग करेंगे, सब मिलकर सहयोग करेंगे - मैं फिर से कहता हूं कि यह एक राजनीतिक पार्टी के बस का काम है ही नहीं। किसी राजनीतिक पार्टी को यह दम्भ नहीं होना चाहिए कि वह इस देश में इस बड़ी भारी समस्या को एक जादू की छड़ी से ठीक कर सकती है - यह असम्भव बात है। मैं अकेला नहीं कर सकता। यह शासन भी जो कुछ पांच साल में कर पाया है - यद्यपि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और मैं समझता हूं कि देश को यह निश्चय करना होगा कि हमारे देश में कोई बच्चा भूखा न रहे। यह देश उपनिषद् का देश है और उपनिषद् यह कहता है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। यहां तक कहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं खा ले और दूसरा भूखा रहे तो वह घोर पापी होता है। उपनिषद् कहता है कि इस देश में प्रचुर उत्पादन करो और अकेले अपने लिए मत करो बल्कि प्राणी मात्र के लिए करो। केवल अपने बच्चों तथा मनुष्य के बच्चों के लिए मत करो, गाय के लिए भी करो, कुत्ते के लिए भी करो, बिल्ली के लिए भी करो, चिड़िया के लिए भी करो, सूअर और सांप के लिए भी करो। जिस देश के अंदर इतनी संवेदना है कि हमें प्राणी मात्र को भोजन कराना है, अगर आज आप वहां अपने बच्चों को भोजन नहीं करा सकते तो फिर आप इस देश की संस्कृति के वाहक कैसे बन सकते हैं? ये गहरे सवाल हैं, यह सामान्य चिंता की बात नहीं है। ये जो दुनिया में व्यवस्था है - क्यों हम गरीब हैं, हम आज क्यों इस हालत में हैं? जो हमारा शोषण हुआ, जो धन और सम्पत्ति यहां से डेढ़ सौ साल तक दूसरे देश लूटकर ले गए और आज भी लूट जारी है, ये उसके नतीजे हैं। इसलिए हमने यह सवाल उठाया है। हमने यह सवाल यूनेस्को में उठाया, हमने यह सवाल यूएनओ में उठाया, हमने यह सवाल उन देशों से किया है जिन्होंने मॉन्टेरी में और डेकार में यह वचन दिया था कि हम अपने जीडीपी का प्वाइंट सेवन परसेंट उन विकासशील देशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण के लिए देंगे, वे क्यों नहीं आगे आए? सैकड़ों साल तक जिन लोगों ने अपनी धन सम्पत्ति बटोरी, उनके ऊपर यह नैतिक दायित्व है। बालकवि जी, ये सवाल गहरे सवाल हैं, इस पर गहरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह राष्ट्र के भिखमंगेपन से उठने का सवाल है। यह बुनियादी सवाल है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने यह लक्ष्य रखा कि 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होना है तो मैं यह समझता हूं कि उसका मतलब यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान की दृष्टि से इस राष्ट्र को सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होना है। इसके लिए हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। ये प्रयत्न छोटे हो सकते हैं लेकिन यह शुरुआत है। अगर आप चलेंगे नहीं - किसी भी काम को करने के लिए आपको एक कदम तो

उठाना ही पड़ेगा और पहला कदम उठाए बगैर आप चल नहीं सकते। यह पहला कदम है, देर से उठा है सन् 74 के बाद आज 2003 में उठा है लेकिन उठा है और मजबूती के साथ उठा है।

मैं चाहूंगा कि आप इसके हर पहलू पर विचार करें, इसको गंभीरता से लें। यह रिटॉरिक का सवाल नहीं है, यह इस देश के भविष्य का सवाल है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में आपके बच्चे अशिक्षित, अविकसित और अपोषित रह गए तो यह जनतंत्र बचेगा नहीं। मैंने UNESCO में कहा है और UNO में भी कहा है कि दुनिया के तमाम अमीर देश इस बात को समझ लें कि अगर ये हालात रहे और दुनिया की 5/6 आबादी इसी तरह से गरीब रही तो आपकी यह धन-सम्पत्ति, यह जनतंत्र, ये तमाम विकास के जितने भी मॉडल्स हैं, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। यह अशिक्षा और गरीबी ही डीस्टेबलाइज़ेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है, इसलिए इसको हटाने की ज़रूरत है। एक स्वस्थ समाज बनाने की ज़रूरत है, अच्छे बच्चे बनाने की ज़रूरत है, अच्छे विकसित मानसिकता वाले लोग बनाने की ज़रूरत है और देश में जो यह विभक्त मानसिकता पैदा हो रही है, इसको दूर करने की दृष्टि से यह चार्टर बनाया गया है। हमारा प्रयास उसी दृष्टि में है। इस चार्टर में इन सभी बातों का समावेश करने की कोशिश की गई है।

बहुत से सुझाव आज आए हैं। अभी हम प्लान ऑफ ऐक्शन निर्माण करने की स्थिति में हैं, हम उसमें उन सुझावों को लेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं, उसमें हम बहुत चीज़ें समाविष्ट करेंगे। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जो हम अपने शिक्षकों को और पाठ्य-पुस्तक लेखकों को देना चाहेंगे ताकि उसका समावेश बच्चों के मन में शुरू से ही हो सके।

ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ इसके सामाजिक पहलू हैं। बच्चों में बालक और बालिका का भेद बहुत गलत बात है। भ्रूण हत्या के सवाल उठाए गए, यह निन्दनीय है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक विश्वास मानता हो और नरक की कल्पना को स्वीकार करता हो तो भ्रूण हत्या करने वाले को तो शायद रौरव नरक का भी दस गुना कोई नरक होता होगा तो वहां उसको जाने की ज़रूरत है। हमने इसके लिए प्रयत्न किए। सभी धर्मावलंबियों से, जितने भी उनके धर्म-गुरु थे, उन सबको बुलाया। उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप जहां जाएं, वहां इस संबंध में जनता को, अपने अनुयायियों को, अपने विश्वस्त अनुचरों को समझाएं कि यह सबसे बड़ा पाप है। कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। हम उस रास्ते से भी जा चुके हैं क्योंकि हमें मालूम है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं होता है। कानून तो बहुत से बने हुए हैं, कुछ का पालन होता है, कुछ का नहीं होता है। लेकिन सामाजिक चेतना, समाज के अंदर एक भावना का निर्माण करना ज़रूरी होता है और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

हमने धार्मिक नेताओं को कहा है कि बच्चों को खाना खिलाओ और "इस्कॉन" का जो प्रयोग है, वह करो और वह प्रयोग अब वे दिल्ली में भी करने वाले हैं, मथुरा में भी करने वाले हैं, पांच-छः शहरों में, कर्नाटक राज्य में कर रहे हैं। आप वहां देखेंगे, आपको खुशी होगी कि बच्चों के भोजन के साथ-साथ कैसी सामाजिक एकता बनती है। वे दस हज़ार मुस्लिम बच्चों की बस्तियों में जहां वे बच्चे पढ़ते, वहां प्रसाद लेकर जाते हैं। वे उनको प्रसाद देते हैं और वे बच्चे "बिस्मिल्लाह" कहकर प्रसाद का भोग लगाते हैं। तो एक सामाजिक समन्वय का भाव भी उसमें से पैदा होता है, एकता की भावना उसमें परिपुष्ट होती है लेकिन आवश्यकता है इन कार्यक्रमों को सही ढंग से आगे चलाने की। मुझे इसमें कोई चिंता नहीं है। हर मज़हब के व्यक्ति, हर धर्म गुरु,

हर धनी व्यक्ति इसमें आए और काम शुरू करे क्योंकि अगर सरकार पर आप निर्भर रहेंगे तो पहले ही 56 साल तक कुछ नहीं हुआ और फिर 50 साल आप इंतज़ार करेंगे तो सरकार को जो करना है, वह तो करेगी ही लेकिन बिना समाज के कुछ नहीं हो सकता। मुझे खुशी हुई कि अनेक सम्मानित सदस्यों ने यह कहा कि इसमें बिना समाज के यह काम सफल नहीं होगा और मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों की उन बच्चों के साथ संवेदना कैसी होती है? कम होती है। जो समाज के नेता हैं, जो समाज में अग्रणी हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, उनमें यह संचेतना होगी या जो उन बच्चों को भूख से बिलखता देखते हैं, बिना शिक्षा के देखते हैं, उनमें यह संचेतना आएगी। जिनके बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, जो ऐश और आराम से हैं, उनमें कितनी संचेतना आएगी, यह कहना कठिन है। लेकिन हम आज जो देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, जो आज देश की बागडोर संभालना चाहते हैं, चाहे इस तरफ हों या उस तरफ हों, ये चिंता और सरोकार तो हमारे हैं। इसके बारे में हमें गंभीर होना पड़ेगा और इसमें केवल टीका-टिप्पणी से काम नहीं चलेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं उधर भी जब बैठता था तब भी मैंने इस मामले में कभी राजनीति का सवाल नहीं किया। हमारी गंभीरता इससे परिलक्षित होती है। साधनों का अभाव है, यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर साधन और बढ़ेंगे, देश और अधिक उत्पादन करेगा, देश और अधिक सम्पत्ति पैदा करेगा तो हम इस कार्यक्रम में और धन लगाएंगे। आज भी जितना लगाया जा सकता है, मैं कभी-कभी निस्संकोच कहता हूं कि जितना आज लगाया जा सकता था, संभवतः उतना आज नहीं लग रहा है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है - मैं इसे बिलकुल खुले दिल से स्वीकार करता हूं।

कल मुझे यह बताया गया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब जनेश्वर जी ने एक बात कही, बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने यह कहा कि कई बार परिवार से जो रूढ़ियां हैं, वे बच्चों में विभक्त मानसिकता पैदा करती हैं। इत्तिफाक से मेरा पारिवारिक अनुभव उनसे कुछ उल्टा है। यह भी एक अजीब बात है। बचपन में मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई मगर थोड़ी सी भिन्न थी। हमारे बहुत छुटपने में जब मैं अपने ननिहाल में छोटे कस्बे में रहता था वहां सामान्य प्रथा यह थी कि घर में जो धोबी आए, नाई आए, सफाई करने वाले लोग आएं उनको भोजन दे दें। उस जमाने में यह निश्चित पगार देने की या बंधी-बंधाई चीज देने की व्यवस्था नहीं थी। उनको भोजन दिया जाता था, अनाज दिया जाता था और मौके पर कपड़े दिए जाते थे। इससे एक पारिवारिक संबंध रहता था। एक बार सफाई करने वाली महिला आई। हमको कभी भी उनके पेशे से पुकारने की इजाजत नहीं थी। जब एक दिन वह भोजन लेने आई तो मैं उनको दाल डालने गया। मैं जब दाल डाल रहा था तो दाल गर्म थी और बर्तन गर्म होने से वह उसे बर्तन में गिर गया। जोर से आवाज आई तो मेरी नानी जी अंदर थीं उसने कहा कि क्या हुआ तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि ये जमादारिन के बर्तन में कटोरा गिर गया। मेरी नानी वहीं से आईं, उन्होंने एक झापड़ मुझको लगाया कि क्या ये तुम्हारी जमादारिन है। ये तुम्हारी नानी है। हम यह कह नहीं सकते थे। यह वर्जित था। पारिवारिक संबंध के साथ रहो और सामाजिक समरसता व एकता के साथ आगे बढ़ो। इत्तिफाक से मेरा अनुभव दूसरा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि परिवार संस्कार दे सकते हैं। मैंने तब से लेकर आज तक कभी अस्पृश्यता का नाम नहीं लिया। मैं अस्पृश्यता नहीं मानता, कभी नहीं मानी और आज भी नहीं मानता। मेरे घर में भी सब प्रकार के लोग हैं जिनकी मैं कभी जाति नहीं पूछता। लेकिन सवाल यह है कि ये संस्कार इस देश के लोग दे सकते हैं। ऐसे भी परिवार हैं जो ये संस्कार देते हैं और ऐसे भी परिवार हैं जो इसके उलट

4.00 p.m.

संस्कार देते हैं। वह तो समाज की रूढ़ियों और उनका प्रश्न है। उसके कारण से किसी व्यवस्था के बारे में अनुचित टिप्पणी करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि इस देश में, जैसा कि एक सम्मानित सदस्य शायद जस्टिस मिश्र ने कहा था कि ये संयुक्त परिवार टूट जाने से नुकसान हुआ है। अब तो संयुक्त परिवार का क्या सवाल है, परिवार ही टूट रहे हैं। दुनिया में बच्चों की समस्या जो पश्चिमी जगत में उठ रही है और उस तरह के निदान अगर हम इस देश में करना चाहेंगे तो माफ कीजिए हम एक बने बनाए समाज को, एक परिवार को बाजार में परिवर्तित कर देंगे। यह मैं आज आपके सामने विनम्र शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं। पश्चिम में परिवार कहां है? पश्चिम में बच्चे के साथ वात्सल्य कहां है। जब मैं पहली बार अमेरिका गया था तो वहां मैंने एक शब्द सुना था 'सिंगल पेरेंट फैमिली'। मैंने उनसे पूछा कि यह सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है। हम थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं, ज्यादा तो नहीं जानते मगर पेरेंट का मतलब तो माता और पिता दोनों होता है। तो सिंगल का क्या मतलब है? क्या उनमें से कोई एक मर गया है या डायवोर्स हो गया है, क्या हुआ है? क्यों ये सिंगल पेरेंट कहते हैं? कहते हैं कि आप हिन्दुस्तान से आए हैं, आपको पता नहीं है। हमारे यहां अमेरिका में दुनिया बहुत आगे चली गई है। यहां स्त्री और पुरुष बिना विवाह के रहते हैं और कभी-कभी उनमें संतान हो जाती है। जब संतान हो जाती है तो जो ज्यादा चालाक होता है वह छोड़कर भाग जाता है। कहीं पिता भाग जाता है तो माता बच्चे को पालती है, मां भाग जाती है तो पिता बच्चे को पालता है। यह सिंगल पेरेंट फैमिली है। जब मैं पिछली बार अमेरिका गया था, यह तादाद वहां 40 प्रतिशत थी। इन बच्चों में कोई किसी प्रकार का मानवीय संस्पर्श है ही नहीं। इनको परिवार का, माता का, पिता का स्नेह-सुख मिला ही नहीं। हमारे यहां अभी स्थिति दूसरी है। हम इसे बदलने की कोशिश न करें। मुझे अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि इन्हीं विकृतियों को अपने देश में संस्कृति के रूप में लाना चाहते हैं। इससे बच्चों का बहुत नुकसान होगा। बच्चों का तो जो नुकसान होगा, होगा सारे मानव समाज का नुकसान है। यह जो आज आतंकवाद की हिंसा का जिक्र हमारे सम्मानित सदस्यों ने किया है, यह इसी का परिणाम है। ये विकृतियां हमें नहीं लानी हैं। बच्चों को परिवार का एक मुख्य अधिकार मिलना चाहिए। मेरी यह निजी मान्यता है, विशेषकर भारतीय बच्चों के संदर्भ में और विश्व भर के बच्चों के लिए सामान्य तौर पर कि बच्चे की बुनियादी आवश्यकता यह है कि उसको एक परिवार में रहने का, एक परिवार के साथ संबंधित रहने का अधिकार मिलना चाहिए। बच्चे को परिवार की जो भी व्यवस्थाएं परिवार के सुख से वंचित करती हैं, मैं उन व्यवस्थाओं को अमानवीय मानता हूं। दे आर इनह्यूमन। बच्चा उस पारिवारिक जीवन से, स्नेह से संबंध सीखता है। शेयरिंग और केयरिंग सीखता है। संयुक्त परिवार में भाईचारा और बहुत कुछ चीजें सीखता था। आज हम उस व्यवस्था को वापस नहीं ला सकते, खास तौर से बड़े शहरों में लेकिन हम उस भावना को तो दूर न करें कि हम अपने बच्चों के प्रति अपने दायित्व का बोझ बनाए रखें। अगर ये बच्चे अस्वस्थ मानसिकता के रहे तो एक स्वस्थ विश्व नहीं बन सकता। ऐ विशृंखलित, विभाजित और हिंसक विश्व बनेगा। विश्व से युद्ध और हर प्रकार की विभीषिका को आप कभी दूर नहीं कर सकेंगे। अगर आपने कल्ली आने वाले इस मानव समाज को सुधारने की कोशिश नहीं की। यह यथार्थ है कि आप एक वर्तमान में जी रहे है, इस वर्तमान को सुधारते हुए हमें भविष्य की ओर देखना है। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है जिस पर जितना ही गंभीरता से ध्यान दिया जाए उतना ही कम होगा। आज इस बात की आवश्यकयता है कि हम इसे गहराई से सीखें। एक बात

जो बैरागी जी ने कही थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, मैं उसके लिए आपको फिर से बधाई देना चाहता हूं कि शिक्षा और दीक्षा के बीच में परीक्षा कहां से आ गई? आपने इसके लिए चुड़ैल शब्द का प्रयोग किया। मैं इस बारे में, आज से नहीं बल्कि दस-पंद्रह सालों से कहता आ रहा हूं कि यह परीक्षा कम से कम छोटे बच्चों के लिए समाप्त कर देनी चाहिए। मैंने सी0बी0एस0ई0 से, जिस बोर्ड से हमारा संबंध है, केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि आठवें दर्जे तक बच्चों के सिर से परीक्षा वाला भूत हटा दें। हमने शुरुआत की है। अभी दूसरे या तीसरे दर्जे तक इन्होंने कहा है कि परीक्षा नहीं होगी, मैं कहता हूं कि पांचवें दर्जे तक नहीं हो। मैंने बच्चों को देखा है, बच्चों को आत्महत्या करते हुए देखा है। मेरे पास अध्यापक के नाते, मंत्री के नाते माता-पिता आए। मैंने अभिभावकों और बच्चों के अधिवेशनों में यह बात कही कि इसको बंद किया जाए। आप परीक्षा का तनाव बच्चों पर डाल रहे हैं। हर माता-पिता यह कहता है कि इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, एम0बी0ए0 में जा, नब्बे परसेंट ला। बच्चा क्या करे? मैंने ऐसे मामले देखे हैं, इसी दिल्ली में एक दिन मैं अपने घर से संसद की ओर आ रहा था, तब मैं गुरुद्वारा रकाबगंज के पास रहता था, विद्यालय के सामने एक मां खड़ी थी, बच्चा रो रहा था। हमने समझा पता नहीं क्या बात हो गई है? पूछा तो बच्चा कहता है कि मैं इम्तिहान देने नहीं जाऊंगा, इम्तिहान देने नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों नहीं जाओगे? कहता है कि नम्बर कम आए तो पीटा जाऊंगा, सीधे कहा। यह जो इस देश के अंदर एक सवाल है, आज हर माता-पिता अपने बच्चे को इंजीनियर, डा0, एम0बी0ए0 से कम नहीं बनाना चाहता। वे उसे चित्रकार नहीं बनाना चाहते, अध्यापक नहीं बनाना चाहते, वकील नहीं बनाना चाहते, वे वैज्ञानिक नहीं बनाना चाहते, सबसे बच जाए तो आ जाए। वैसे कपिल सिब्बल साहब बैठे हैं, वे इससे बचकर नहीं आए हैं, मैं कह सकता हूं, लेकिन जब कहीं न हो तो मास्टर बन जाओ, कुछ नहीं तो जर्नलिज्म में चले जाओ और कुछ नहीं तो चित्रकार बन जाओ।

श्री वीरभद्र सिंह : राजनीति में आ जाओ।

डा0 मुरली मनोहर जोशी : हां, राजनीति में आ जाओ। यह भी होता है। यह भी एक सही बात है। इसके लिए अखबारों में मज़ाक छपता है। बच्चा फेल हो गया तो माता-पिता ने कह दिया कि कोई चिंता नहीं है, एम0एल0ए0 या एम0पी0 बन जाएगा। अखबारों में कार्टून आते हैं। बहुत से कहते हैं कि कुछ नहीं पढ़ाया तो शिक्षा मंत्री बन जाएगा। ये कार्टून अखबारों में आते हैं। यह होता है लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो तनाव है, यह जो एक तनावग्रस्त मानसिकता को पैदा करके बच्चों के मन में एक हीन भावना और अपने अंदर की कमजोरी है, फेल है, फेल का अर्थ है, मैं इस देश को फेलियर्स की कंट्री नहीं बनाना चाहता, फेल क्या होता है, बच्चा पास होना चाहिए। भारतवर्ष सफल लोगों का देश बनेगा, भारतवर्ष असफल लोगों का देश नहीं बनेगा। यहां फेलियर्स होने का मतलब क्या है? इसीलिए मैंने कहा बच्चा उतना बताए कि इतना पढ़ा है और इतना जानता है। इस जानकारी में और इज़ाफ़ा, वृद्धि करना चाहते हो तो अगली बार और अटैम्प्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह फेल क्या होता है। मेरे दिमाग में बात नहीं आती कि कोई बच्चा फेल क्यों हो, कोई आदमी फेल क्यों हो? यह कहां सफल हो, उसकी सफलता की सीमा आंकी जाए ...(*व्यवधान*)...

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : आपने फेल नहीं किया।

डा0 मुरली मनोहर जोशी : मैं जब तक अध्यापक था, तब बहुत कम बच्चे फेल होते थे, पढ़ने वाले ज्यादा होते थे। आज भी यह कहना चाहता हूं कि फेलियर्स की क्या बात है?

बालकों के बारे में यह कि तू फेल हो गया, जिन्दगी भर उस पर कलंक रहता है। फेल्योर हो गया। उसका सहपाठी आगे की कक्षा में चला गया और वह पीछे रह गया तो उसकी मज़ाक बनती है। उसका सारा साल इसी तनाव में जाता है। यह गलत बात है। यह सुधार हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें राज्य सरकारों के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है। संघीय शासन प्रणाली है और कुछ अगर मैं ज्यादा करूंगा तो सिब्बल साहब कहेंगे कि क्या परीक्षा में भगवाकरण कर रहे हैं। तो उससे भी डर लगता है और बचना पड़ता है।

श्री कपिल सिब्बल (बिहार) : क्या आप उससे डरते हैं, आप नहीं डरते। आप निडर हैं।

डा0 मुरली मनोहर जोशी : धन्यवाद, कोई ऐसा भी है जो आपसे नहीं डरता। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इस तरफ बच्चों को ले जाना चाहते हैं, बच्चों को स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं, बच्चों के अंदर हौसला रखना चाहते हैं। वह जो उन्होंने कहा था कि पिटाई के डर से हिन्दुस्तान गुलाम हो गया, तो ऐसी बात नहीं है, हिन्दुस्तान ने बहुत लोगों को पीटा भी है। उससे तो मैं सहमत नहीं हूं। हिन्दुस्तान की गुलामी के बहुत सारे कारण हैं। वह एक अलग बात है। कलराज जी ने जो आज एक बात कही थी कि किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, वह तो ठीक है, लेकिन वह किलर इंस्टिंक्ट किसी सिद्धांत, किसी उद्देश्य के लिए होनी चाहिए, न कि जिसको आप आजकल कट थोट किलर कंपीटिशन कहते हैं। वह बहुत खराब है कि आप दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि किल करना है तो इसकी टांग खींच लो। इससे हम सहमत नहीं हैं। प्रतिस्पर्द्धा ठीक है, मगर सहयोगात्मक प्रतिस्पर्द्धा ठीक है। तू भी आगे बढ़ और मैं भी आगे बढ़ूं। यह बात समझ में आती है। हम इसी तरफ बच्चों को ले जाना चाहते हैं। मगर जो आर्थिक और सामाजिक नीतियां हमने आज इस देश में चलाई हैं और दुनिया में चलाई हैं, उसमें से प्रतिस्पर्द्धा उसका एक हिस्सा बना हुआ है। कंपीटिशन की आप बार-बार बात करते हैं We are living in a competitive world. मैंने दस साल से नहीं सुना है कि We should live in a co-operative world. यह बात खत्म हो गई। गवई साहब तो कोआपरेशन के राज्य के प्रमुख लोगों में से रहे हैं। Where is the co-operation? We are living in a competitive world. A child is supposed to be through and through in competition right from the day he or she joins the school. He or she is not taught that he or she has to live in a co-operative world. एक सहकार की दुनिया में रहना है इसका तो कहीं उद्देश्य नहीं, We have to compete. हमें एक-दूसरे से लड़ना है। एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करनी है। यह वर्तमान है। यह भी एक वर्तमान है, बैरागी जी, उस वर्तमान से भी हमें जूझना है। और एक अच्छे सुन्दर भविष्य के निर्माण के लिए, जिसमें जाति, पंथ, धर्म, भाषा इसके विभाजन से मुक्त एक समाज की रचना करनी है तो उसके लिए इस चॉर्टर में कुछ शुरुआत की गई है। कुछ कानून में लायेंगे, कुछ प्लान ऑफ़ एक्शन में लायेंगे । आप सब के सुझावों से हम लाभान्वित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। एक बात जो जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने कही थी, इसमें एक भूल हुई है कि बजाय पार्ट्स ऑफ़ कंस्टीट्यूशन के उन्होंने चैप्टर्ज़ ऑफ़ कंस्टीट्यूशन लिख दिया है, उसे हम सुधार लेंगे। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह ठीक बात है। अन्य भी जो सामान्य ऐसी गलतियां होंगी, उन्हें हम ठीक कर लेंगे, लेकिन कुल मिला करके यह मसविदा, यह डॉकुमेंट, एक बहुत सदिच्छा से इस सदन के सामने रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि जो समर्थन आपने हमें दिया है, जो विश्वास आपने इस नीति के प्रति व्यक्त किया है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आज मंत्री हूं, कल आप हो सकते हैं। फिर यह काम आपको करना पड़ेगा। उस वक्त फिर उधर बैठ कर मैं यह नहीं कहूंगा कि आप क्यों नहीं

कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसकी वास्तविकता को जानता हूं। अभी तक नहीं हुआ है, आगे होना चाहिए। अगर हम इससे सहमत हैं कि आगे होना चाहिए, तो फिर आइये, मिल कर इस काम को करें। यह राष्ट्र का काम है, यह राष्ट्र का यज्ञ है। इस अनुष्ठान में सबकी भागीदारी हो। सब अपनी संविदा लेकर आएं और कहें कि इस देश की जय हो, इस देश के बालक की जय हो, इस देश की प्रतिभा की जय हो। धन्यवाद।

श्री बालकवि बैरागी : उपसभाध्यक्ष महोदय, इतने अच्छे भाषण के लिए और इतने अच्छे अभिप्राय के लिए हम लोग और निजी तौर से मैं जोशी जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल सिब्बल : मैं एक अनुरोध और करूंगा कि जब वे इस तरफ आएं और वे जल्दी आने वाले हैं, तो हमें समर्थन दें।

डा0 मुरली मनोहर जोशी : आपने कहा कि मैं आपसे डरता नहीं हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस धोखे में आप बिल्कुल मत रहिए। हो सकता है, यह परिस्थिति कई साल तक बनी रहे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : माननीय मंत्री जी, एक मिनट मैं आपका ध्यान चाहूंगी। आपने कहा कि कपिल सिब्बल जी से डरते हैं, लेकिन आपके तो जो मन में आता है, वह कर डालते हैं। इसलिए आपको डर नहीं है, जो करेंगे, करिए। हम लोग, जहां होगा, समर्थन देंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Now, this discussion is over.

THE RAILWAY PROTECTION FORCE (AMENDMENT) BILL, 2003

AND

THE RAILWAY (SECOND) AMENDMENT BILL, 2003

THE VICE CHAIRMAN (DR. A.K.PATEL): Now, we take up the Railway Protection Force (Amendment) Bill, 2003. Shri Nitish Kumarji.

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध था कि इसी से जुड़ा हुआ अगला विधेयक रेलवे अमेंडमेंट बिल भी रेलवे एक्ट से संबंधित है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर एक साथ चर्चा की अनुमति दी जाए। Sir, I beg to move:

> That the Bill further to amend the Railway Protection Force Act, 1957, be taken into consideration.

I also beg to move

> That the Bill further to amend the Railways Act, 1989, be taken into consideration.